संख्या: 5/2015/153/पैंतीस-2-2015-3/39(62)/2013

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2015**

विषय- **नवसृजित जनपद कासगंज के लिए निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 89/ले0-27/2013, दिनांक 06.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवसृजित जनपद कासगंज के लिए निदेशन एवं प्रशासन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में अधिष्ठान व्यय हेतु आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नलिखित मानक मदों में निम्नानुसार कुल रू0 3,20,000/- (रू0 तीन लाख बीस हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

मानक कोड	मद	धनराशि
1	**2**	**3**
08	कार्यालय व्यय	5,000
11	लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई	5,000
12	फर्नीचर एवं उपकरण	1,50,000
13	टेलीफोन पर व्यय	10,000
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000
	कुल योग	**3,20,000**

3- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित शर्ते एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- वस्तुओं का क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित तदविषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष् 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनागत-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

संख्या: 5/2015/153(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी, कासगंज।
5. उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in